बेसमेन्ट के निर्माण में निकले उपखनिज की निकासी हेतु
अनुमति–पत्र

मैसर्स राजहंस इन्फ्राटेक प्रा0लि0 पता–जीएच–06बी सेक्टर–1 ग्रेटर नोएडा वेस्ट जनपद गौतमबुद्धनगर द्वारा प्लाट सं0–जीएच–06बी सेक्टर–01 ग्रेटर नोएडा वेस्ट जनपद गौतमबुद्धनगर क्षेत्र में उपखनिज की निकासी के लिए अनुमति–पत्र देने के निमित प्रार्थना–पत्र दिया है। आवेदक द्वारा 8000 वर्गमीटर बेसमेन्ट का निर्माण प्रस्तावित है, जिसकी कुल गहराई 3.00 मीटर है, सम्भावित प्रथम 1.00 मीटर गहराई तक 8000 घनमीटर सा0 मिट्टी का खनन प्रस्तावित है, जिसकी वर्तमान रायल्टी दर रू0 14/– प्रति घनमीटर की दर से रायल्टी अंकन रू0 1,12,000/–एवं शेष 2.00 मीटर गहराई तक 16000 घनमीटर साधारण बालू का खनन किया जायेगा जिसकी वर्तमान रायल्टी दर रू0 33/– प्रति घनमीटर की दर से रायल्टी रू0–5,28,000/–होती है। इस प्रकार कुल धनराशि रू0–6,40,000/–का भुगतान कर दिया गया है। एतदद्वारा नीचे उल्लिखित जिलाधिकारी गौतमबुद्धनगर के आदेश दिनांक 25.06.2015 द्वारा 03 माह की अवधि के भीतर निम्नलिखित शर्तो के अधीन रहते हुये उपखनिज हटाने की अनुमति दी जाती है।

भूमि का ब्यौरे

क्रम सं0	तहसील	प्लाट संख्या	बेसमेन्ट एरिया का विवरण
1.	दादरी	प्लाट सं0–जीएच–06बी सेक्टर–01 ग्रेटर नोएडा वेस्ट जनपद गौतमबुद्धनगर।	उक्त प्लाट का बेसमेन्ट ऐरिया 8000 वर्गमीटर है जिसकी की कुल गहराई 3.00 मीटर है।

स्थान: गौतमबुद्धनगर
दिनांक 10/07/2015 से 09/10/2015 तक

शर्तें

1. अनुमति धारक, राज्य सरकार को किसी तीसरे पक्ष के दावे की क्षतिपूर्ति करता रहेगा और इस प्रकार के दावे को उसके उत्पन्न होते ही स्वयं निश्चित करेगा।
2. अनुमति धारक ऐसी रीति से खनिज निकालेगा जिससे कोई सड़क, सार्वजनिक मार्ग, भवन, भू–गृहादि, सार्वजनिक भू–स्थल या सार्वजनिक सम्पत्ति तथा वृक्षों पर कोई बाधा न पड़े, या उसे क्षति न पहुंचे।
3. अनुमति धारक संग्रह किये गये सभी खनिजों का लेखा रखेगा और एतदर्थ प्रतिनियुक्ति प्राधिकारी को ऐसे लेखों का निरीक्षण करने की अनुमति देगा।
4. उपखनिज का परिवहन जिलाधिकारी (खनन कार्यालय) द्वारा निर्गत प्रपत्र एमएम–11 पर ही किया जायेगा।
5. अनुमति पत्र में निर्धारित मात्रा अथवा अवधि जो भी पूर्व में घटित होगी , तक ही मान्य होगी।
6. प्रत्येक 07 दिन में उपखनिज की निकासी की मात्रा का विवरण कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा।
7. एमएम–11 की बुकों को प्रयोग करने के तुरन्त बाद कार्यालय प्रतिपर्ण एवं अवशेष एमएम–11 कार्यालय में जमा करायेगें तथा खनन स्थल से निकलने वाले वाहन खनिज को तिरपाल से ढककर ही शहर के अन्दर परिवहन करें।
8. बेसमेन्ट निर्माण के दौरान निकले उपखनिज की निकासी का कार्य सुरक्षात्मक उपाय बेरिकेटिंग आदि लगाकर इस प्रकार से किया जायेगा कि समीपवर्ती भू–भाग अथवा भवन व कार्यरत मजदूरों को हानि न पहुंचे और यदि क्षति होती है तो उसका समस्त मुआवजा आवेदक द्वारा देय होगा।
9. यदि उपखनिज की निकासी करते समय अन्य उपखनिज निकलता है तो उसकी सूचना तत्काल प्रभाव से जिलाधिकारी को देनी होगी व अन्य उपखनिज की रायल्टी का आंकलन किया जायेगा जो आवेदक को अतिरिक्त रायल्टी के रूप में देना होगा।
10. यदि भवन परियोजना के निर्माण हेतु परियोजना स्थल से किये गये उपखनिज का प्रयोग परियोजना में अथवा परियोजना स्थल के बाहर किसी कार्य हेतु किया जाना है तो पर्यावरण निदेशालय, उ0प्र0 के पत्र संख्या 2557/पर्या0/एस0ई0ए0सी0/साधारण मिटटी खनन/2012 में दिये गये बिन्दु संख्या–5 में दिये गये **Safeguards** को कडाई से अपनाया जाना होगा।
11. अनुमतिधारक द्वारा मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा समय–समय पर दिये गये निर्णय का अनुपालन करते हुए एवं वन भूमि के अन्तर्गत सभी प्रकार के विधिक रूप से मान्यता प्राप्त (स्टेब्यूटरी रिकगनाईज्ड) वन (चाहे वह आरक्षित या संस्थित या किसी अन्य नामों (डिजिग्नेटेड) से हो) क्षेत्रों में खनन के सम्बन्ध में दिये गये निर्देशों का कडाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
12. जिला खनन अधिकारी द्वारा सत्यापन करके यह सुनिश्चित किया जायेगा कि खनिज ले जाने के लिये जारी किये गये रवन्ना का उपयोग स्वीकृत किये गये क्षेत्र से निकाले गये खनिज के लिए ही प्रयोग किया जा रहा है तथा एक प्रकार के वाहन के लिए किये गये प्रपत्रों का दूसरे प्रकार के वाहनों के लिए उपयोग नहीं किया जा रहा है। जिस भू–खण्ड हेतु अनुमति दी जा रही है, उस भू–खण्ड से निर्धारित मात्रा में खनिज निकालने हेतु जारी किये गये रवन्ना का प्रयोग किसी और जगह से अवैधानिक रूप से निकाले गये खनिज में किया जाना पाया जाता है तो अविलम्ब उक्त गैर विधिक कार्य करने वालों के विरूद्ध एफ0आई0आर0 दर्ज की जायेगी तथा उक्त वाहन एवं खनिज को सीज किया जायेगा।
13. अनुमति देने के उपरान्त निर्धारित अंतराल में तहसील स्तरीय टास्क फोर्स द्वारा अनिवार्य रूप से हर सप्ताह निरीक्षण किया जायेगा तथा गठित टास्क फोर्स उक्त स्थल पर खनन की जा रही खनिज (Mineral) का प्राथमिक अनुमान लगाकर उक्त मात्रा का अकंन भी करेगी अर्थात टास्क फोर्स अनुमति प्राप्त होने के उपरान्त समय समय पर निरीक्षण करते हुए खनन की जा रही मात्रा एवं गहराई की जॉच करेगी तथा यदि अनुमति में दिये गये क्षेत्रफल एंव गहराई की मात्रा से ज्यादा अवैध रूप से खनन किया जा रहा है तो सम्बन्धित अवैध खनन करने वाले अनुमति धारक व अन्य के विरूद्ध प्राथमिकी दर्ज करायेगी। तथा उक्त को अवैध खनन मानते हुए उक्त खनिज को सीज करते हुए नियमानुसार निस्तारण करेगी।